न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 46/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांकः 17.05.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

लक्ष्मीचंद पुत्र औकार जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बोरी कलां तहसील मांगरोल, जिला बारां

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सत्येन्द्र जामोदिया अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 20.09.2024

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 02/2023 बउनवान लक्ष्मीचंद बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 379/23 धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा संख्या 1708/2583 रकबा 0.80 है0 भूमि किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 27.02.2023 से 960/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 379/23 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2023 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 12.09.2023 से खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलांट का मौके पर अतिक्रमित आराजी पर कब्जा है या नहीं है तथा सजायाब कर दिया है, जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरित होने से उक्त निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की

जाकर न्यायालय जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 12.09.2023 एवं न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल का निर्णय दिनांक 27.02.2023 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलांट का मौके पर अतिक्रमित आराजी पर कब्जा है या नहीं है तथा सजायाब कर दिया है, जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरित होने से उक्त निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा संख्या 1708/2583 रकबा 0.80 है0 भूमि किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 27.02.2023 से 960/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बारां ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 379/23 धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा संख्या 1708/2583 रकबा 0.80 है0 भूमि किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 27.02.2023 से 960/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 379/23 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2023 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 12.09.2023 से खारिज की गई। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने .अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो कानून के खिलाफ है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही सजायाब करने का निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा अपीलांट लक्ष्मीचंद पुत्र ओंकार द्वारा ग्राम बमोरीकलां की आराजी खसरा संख्या

1708/2583 रकबा 0.80 है0 भूमि किस्म चारागाह में अवैध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त करने पर अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाकर दिनांक 27.02.2023 को अपीलांट की उपस्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 27.02.2023 से 960/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात प्रथम अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2023 को यथावत रखते हुए अपील सारहीन होने से निर्णय दिनांक 12.09.2023 से खारिज की गई है। इस प्रकार अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलांट को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही हरदो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2023 को यथावत रखते हुए अपील सारहीन होने से खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.09.2023 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा